8788

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079537

भूमि मूल्यांकन सूची – पेज नम्बर 108 वी कोड 0331 के अनुसार भूमि दर 47,00,000/–रू0 प्रतिहैक्टेयर

स्टाम्प का योग	–	1,50,050/– रू0
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा कृषि
विक्रय मूल्य	–	20,00,000/– रू0 नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।
बाजारू कीमत	–	20,96,000/– रू0

शामिल मिसिल

तहसीलदार
झांसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079538

मौजा	–	मैरी
ब्लाक	–	बड़ागांव
सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषिभूमि
मापन की इकाई	–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.4455 हैक्टेयर

सड़क की स्थिति– उक्त आराजी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग / फोर लाईन व किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

द्वितीय पक्ष की संख्या – एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्रीमती सरोज पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम मैरी, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या UP/61/329/1014072 से की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079540

कोषागार, झाँसी

मुख्य कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी

(4)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष– अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा0लि0 143 त्रिभुवन काम्पलेक्स ईश्वर नगर मथुरा-रोड नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव निवासी – 130/ए. सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान पेन कार्ड संख्या DFHPS5779M से की गयी है)

सम्पत्ति का विवरण- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागांव परगना व जिला झाँसी की है जिसका खाता संख्या 00087 आराजी नम्बर 359 रकवा 0.648 है0 का 3/4 भाग यानि रकवा 0.486 है0 में से रकवा 0.4455 है0 अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वय किया गया है

सरोज शोभा राजेश निरंजन Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079541

कोषागार, झाँसी

(5)

वयशुदा आराजी मे विक्रेतागण का कोई भी अंश शेष नही रहा है उक्त आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं उक्त आराजी में कोई पेड़ व कूप आदि नहीं है आराजी मुवैया नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी कृषकीय भूमि है जो कृषि के लिए वय की जा रही है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है। जो बैनामा का अंश भाग है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है जिसका लगान

सरोज शोभा राजेश निजसोदा Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079542

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया मुख्य कोषाधिकारी

(6)

6 रूपया 5 पैसे सालाना है उक्त आराजी विक्रेता नम्बर एक ने जरिये बैनामा दिनांक 19.10.2011 को श्री भागीरथ पुत्र गंगू से क्रय की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार झाँसी में वहीं संख्या 1 जिल्द संख्या 4669 पृष्ठ 271 से 290 क्रमांक 6392 पर दर्ज है। व उक्त आराजी विक्रेता नम्बर दो ने जरिये बैनामा दिनांक 26.03.2007 को श्री जितेन्द्र आदि से क्रय की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार झाँसी में वहीं संख्या 1 जिल्द संख्या 3207 पृष्ठ 293 से 312 क्रमांक 1348 पर दर्ज है। व विक्रेता नम्बर तीन एवं चार की पैत्रिक सम्पत्ति है।

सरोज गौतम राजेश नि०जसोदा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) 44AC 531419

दस्तावेज हाजा मे उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं०वि०क०नि०–5–462/11–2006–500 (92)/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

यह कि हम विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त आराजी के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है, न ही उक्त आराजी किसी जमानत, ऋण, डिग्री आदि मे मगफूल है चूँकि हम

सरोज गोता राजेश निजमणि Sailendra

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) 44AC 531420

विक्रेतागण को निजि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को विक्रय करते है। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को वखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता आराजी मुवैया खेती करे व अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे, कागजात मालिकान में नाम दर्ज कागजात करावे वय हिवा रहिन करे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमारा व हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा भविष्य

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (9) 44AC 531421

में कभी होगा काश किसी कानूनी नुक्श की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा आदि के देनंदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण व हमारे वारिसान रहेगें । यदि विक्रेतागण या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी,माल,राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व विक्रेतागण व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का

सरोज शोभा राजेश निर्जामोदा Sailendra

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) 44AC 531422

सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण व क्रेता का ही होगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख मे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नही है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरुरत पर काम आवे।

सरोज शोभा राजेश निर्मला Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) 44AC 531423

दिनांक : 27.11.2014

प्रारूपकर्ता : गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : दीपक , तहसील झाँसी

सरोज शोभा राजेश Shailendra

गवाह (1)..........

गवाह (2)..........

गौरव अग्रवाल दस्तावेज लेखक
तहसील व जिला झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या-2

नक्शा –नजरी

बिक्रेता का नाम श्रीमती सरोज....
क्रेता का नाम श्री शैलेन्द्र यादव
मौजा भैरी......
तहसील, परगना व जिला झाँसी
भूमि नम्बर ३५६

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

सरोज

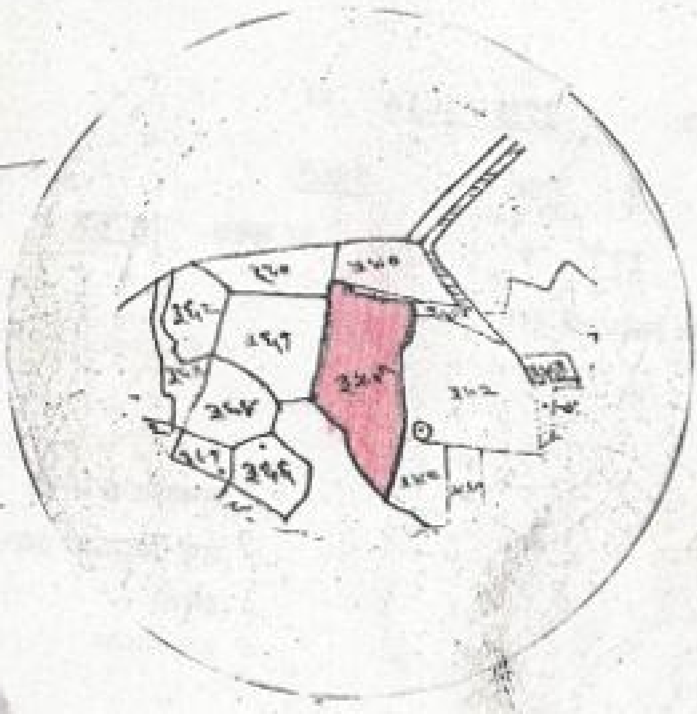

शोभा

राजेश

निर्मला

Basit Ali
Approved By J.D.A.
L. N. No......
Office - 56 Taksal, Jhansi

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 079539

कोषागार, झाँसी

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या — चार

द्वितीय पक्ष की संख्या — एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष — श्रीमती सरोज पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी— ग्राम मैरी, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या UP/61/329/1014072 से की गई है) व श्रीमती शोभा पत्नी संजय यादव निवासी— 168 अन्दर लक्ष्मी गेट , तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या DCT 5019690 से की गई है) व श्री राजेश (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या ZTU 0431486 से की गई है) व अमर ना0बा0 उम्र 16 वर्ष पुत्रगण स्व0 श्री ठाकुर दास वली व प्राकृतिक संरक्षिका माँ श्रीमती जसोदा पत्नी स्व0 श्री ठाकुर दास व श्रीमती जसोदा पत्नी स्व0 श्री ठाकुर दास (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या UP/61/329/1014346 से की गई है) निवासीगण— ग्राम मैरी, तहसील व जिला झाँसी

सरोज शोभा राजेश जसोदा Shailendra

राजकीय कोषागार झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 28844 25000/-
नाम क्रेता 28842 to 28844
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील
दिनांक 27/11/14

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री विपिन यादव

पुत्र श्री बृजलाल

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

व श्री घनश्याम

पुत्र श्री तुलसीदास

पेशा अन्य

निवासी राजगढ़ तहसील व जिला झांसी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

निष्पादकों की पहचान यथाप्रलेख है

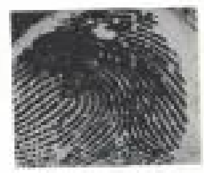

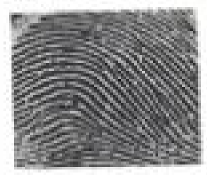

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
27/11/2014

आज दिनांक 27/11/2014 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 5963

पृष्ठ सं. 277 से 300 पर कमांक 8788

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
27/11/2014

न्यायालय तहसीलदार मोठ
वाद सं० 205/2015
ता० आ० 20/6/15

22/7/15

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23

क्रेता

Registration No. : 8788 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 शैलेन्द्र यादव
राकेश यादव
130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी
व्यापार

राजकीय कोषागार, झाँसी
फोटो संख्या-23
क्रमांक 28845 मूल्य 25000-
नाम क्रेता 28842 ...
पिता, पति
निवासी
तहसील
दिनांक 27-11-14

विक्रेता

Registration No.: 8788 Year : 2,014 Book No. : 1

0101 सरोज

महेन्द्र सिंह

ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

गृहिणी

0102 शोभा

संजय यादव

168 अन्दर लक्ष्मीगेट तहसील व जिला झांसी

गृहिणी

0103 राजेश

ठाकुरदास

ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

कृषि

0104 जसोदा

ठाकुरदास

ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

गृहिणी

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 28843 मूल्य 25000
नाम क्रेता 28842 के साथ
पिता, पति
निवासी
तहसील
दिनांक 27-11-14

विक्रय पत्र

2,000,000.00 /	**2,096,000.00**	10,000.00	20	10,020.00	700
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/11/2014 समय 3:13PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा
उप निबन्धक प्रथम
झांसी
27/11/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती सरोज
पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

क्रेता

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

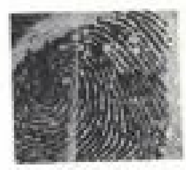

श्रीमती शोभा
पत्नी श्री संजय यादव
पेशा गृहिणी
निवासी 168 अन्दर लक्ष्मीगेट तहसील व जिला झांसी

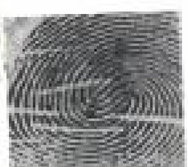

श्री राजेश
पुत्र श्री ठाकुरदास
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

श्रीमती जसोदा
पत्नी श्री ठाकुरदास
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी